अध्याय 12

अन्य कल्याणकारी योजनाएँ

1. शासकीय सेवक की सेवारत रहते हुए मृत्यु होने पर देय अवकाश नगदीकरण-

1.1. पात्रता- (निम्न क्र में)

(1) विधवा पत्नी (एक से अधिक विधवा पत्नी जीवित होने की दशा में देय राशि उनके बीच बराबर हिस्सों में बाँट दी जायेगी),

(2) विधुर पति,

(3) मृत कर्मचारी का ज्येष्ठ पुत्र यदि वह मृत कर्मचारी के परिवार के साथ रहता हो,

(4) ज्येष्ठ अविवाहित पुत्री,

(5) मृत कर्मचारी पर आश्रित विधवा पुत्री (यदि एक से अधिक आश्रित विधवा पुत्री हों तो देय राशि उनके बीच बराबर बाँट दी जायेगी),

(6) पिता,

(7) माता ।

1.2 किन्हें पात्रता नहीं-

(1) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों अथवा ऐसे शासकीय सेवक जिन्हें अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को लागू सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत यह लाभ देय है।

(2) कार्यभारित तथा नैमित्तिक व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारी।

(3) ऐसे पेंशनभोगी जो अधिवार्षिकी अथवा सेवानिवृत्ति पेंशन प्राप्ततों कर राज्य शासन की सेवा में पुनर्नियुक्त हुए हों।

(4) ठेके पर रखे गये अथवा प्रतिनियुक्ति पर लिये गये कर्मचारी।

1.3. एकमुश्त भुगतान- अवकाश वेतन के समतुल्य देय राशि की अदायगी एकमुश्त चुकारे के रूप में की जायेगी।

1.4. अधिकतम सीमा- मृत्यु के दिनांक को शेष अर्जित अवकाश, परन्तु *[240 दिन] से अधिक नहीं।

1.5 अवकाश वेतन एवं भत्ते- अर्जित अवकाश पर देय समतुल्य राशि के बराबर वेतन तथा प्रचलित दर से महंगाई भत्ता । अन्य कोई भत्ते देय नहीं।

---

* अर्जित अवकाश की जमा की अधिकतम सीमा 300 दिन कर दी गई है।

अध्याय 16

ऋण एवं अग्रिम

शासकीय सेवकों को दिये जाने वाले अग्रिम दो प्रकार के होते हैं- (1) ब्याज रहित, (2) ब्याज सहित।

(1) ब्याज रहित अग्रिम

(1) स्थानान्तर पर वेतन अग्रिम ।
(2) स्थानान्तर/दौरे पर यात्री अग्रिम।
(3) त्यौहार अग्रिम।
(4) गृह नगर की यात्रा हेतु यात्रा अग्रिम।
(5) भारत के बाहर प्रशिक्षण पर जाने वाले शासकीय सेवकों को अग्रिम।
(6) चिकित्सा अग्रिम ।

(2) ब्याज सहित अग्रिम

(1) गृह निर्माण/भूखण्ड क्रय अथवा बना हुआ मकान क्रय करने के लिए अग्रिम।
(2) मोटरकार क्रय अग्रिम ।
(3) मोटर सायकल/स्कूटर/मोपेड क्रय अग्रिम।
(4) बाईसिकिल क्रय अग्रिम।
(5) अनाज क्रय अग्रिम।
(6) कम्प्यूटर क्रय अग्रिम।

इन प्रयोजनों के लिए शासन के कर्ज देना बन्द कर दिया है। शासकीय सेवक किसी भी वित्तीय संस्था से कर्ज प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। इसके लिए शासन ने कर्ज उपलब्ध कराने की योजना प्रारम्भ की है जो 1.6.2004 से लागू हो गई है।

1. स्थानान्तरण पर वेतन/यात्रा भत्ता अग्रिम

राशि- एक माह के वेतन के बराबर वेतन अग्रिम + रेल-बस का वास्तविक किराया। किराये की गणना में स्वयं के लिए एवं शासकीय सेवक पर आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए, उसी दर से जिस श्रेणी से शासकीय सेवक यात्रा की पात्रता रखता है, व्यय में शामिल है घरेलू सामान का परिवहन व्यय (रेल अथवा सड़क मार्ग से)।

वसूली- वेतन अग्रिम की राशि वेतन से तीन समान मासिक किश्तों में एवं यात्रा अग्रिम का समायोजन स्थानान्तर यत्रा देयक से एक मुश्त किया जायेगा।

स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी- कार्यालय प्रमुख।

अन्य शर्तें- (1) पारस्परिक स्थानान्तरों के मामले में अग्रिम की पात्रता नहीं है।

[नियम 268 छत्तीसगढ़ वित्त संहिता भाग 1]

2. त्योहार अग्रिम

त्योहार- राष्ट्रीय त्योहार, जैसे- 15 अगस्त/26 जनवरी, होली, दशहरा, दीपावली, रक्षा-बन्धन, ईद-उल-जुहा, ईद-उल-फितर, जन्माष्टमी, क्रिसमस-डे आदि।

पात्रता- समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वालों को भी पात्रता है।

राशि- रुपये 8000 से अधिक नहीं।

वसूली- दस समान मासिक किश्तों में वेतन से।

अन्य शर्तें- अग्रिम कैलेण्डर वर्ष में केवल एक बार दिया जाता है, बशर्ते पिछला अग्रिम बकाया न हो।

स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी- कार्यालय प्रमुख ।

[वित्त एवं योजना विभाग क्रमांक 331/एफ/1003419/वि/नि/चार, दिनांक 19.10.2012 द्वारा संशोधित।]

3. गृह नगर की यात्रा हेतु अग्रिम

पात्रता- सभी श्रेणी के शासकीय सेवकों को।

अग्रिम- दोनों ओर की यात्रा पर खर्च होने वाली अनुमानित राशि पर 4/5 भाग । जहाँ शासकीय सेवक एवं उसका परिवार पृथक्-पृथक यात्रा करना चाहता है, वहाँ अग्रिम पृथक-पृथक् स्वीकार किया जा सकता है। जहाँ अवकाश की अवधि 90 दिन से अधिक है वहाँ केवल एक ओर का ही अग्रिम स्वीकार किया जाये।

वसूली- यात्रा देयक से एकमुश्त समायोजित की जायेगी।

स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी- कार्यालय प्रमुख।

अन्य शर्तें- अस्थायी शासकीय सेवकों के मामले में स्थायी कर्मचारी की जमानत ।

निर्योग्यता अवकाश की स्वीकृति से संबंधित सभी मामले तत्संबंधित प्रशासनिक विभाग को सहमति हेतु प्रस्तुत किये जावेंगे। [नियम 40क]

(4) अध्ययन अवकाश

अध्ययन अवकाश स्वीकृति की शर्तें- (1) इन नियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, किसी शासकीय सेवक को लोक सेवा की अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये भारत में अथवा भारत के बाहर किसी विशिष्ट अध्ययन पाठ्यक्रम, जिसमें किसी व्यावसायिक या तकनीकी विषय में उच्चतर शिक्षा या विशेषीकृत प्रशिक्षण शामिल है तथा जिसका उसके कार्यक्षेत्र से सीधा और निकट संबंध है, के लिये अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

(2) ऐसे विषय वस्तु, जिनके अध्ययन के लिये भारत में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं, भारत के बाहर के लिये अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

(5) अध्ययन अवकाश ऐसे नियमित शासकीय सेवक को स्वीकृत किया जा सकेगा जो-

(एक) परिवीक्षा अवधि संतोषप्रद रूप से पूर्ण कर चुका है और परिवीक्षा अवधि तथा तदर्थ रूप से की गई सेवा को शामिल करते हुये शासन के अधीन कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुका है;

(दो) अवकाश समाप्त होने के पश्चात् अपने कर्त्तव्य पर लौटने की संभावित तिथि से तीन वर्ष के भीतर अधिवार्षिकी आयु पर पहुंचने वाला न हो;

(तीन) अवकाश समाप्त होने के बाद तीन वर्षों तक शासकीय सेवा करने की वचनबद्धता हेतु एक बंधपत्र निष्पादित करना आवश्यक होगा।

(3) अध्ययन अवकाश की स्वीकृति- (1) शासकीय सेवक को अध्ययन अवकाश प्रशासकीय विभाग द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

(4) सामान्यतः एक समय में 12 महीने का जिसमें अपवादिक मामलों को छोड़कर वृद्धि नहीं की जाएगी पूर सेवाकाल में 24 माह तक स्वीकृत किया जा सकता है।

(5) इस अवकाश को अन्य किसी प्रकार के अवकाश के साथ कुछ शर्तों के अधीन जोड़ा जा सकता है।

(6) यह अवकाश, लेखे में दर्ज नहीं किया जाता है।

(7) वेतन- उतना मिलेगा जो अवकाश पर जाने के तत्कल पूर्व प्राप्त हो रहा था।

(8) केवल महंगाई भत्ते की पात्रता होगी (अन्य भत्ते नहीं)

(9) अवकाश अवधि पदोन्नति, पेंशन, वरिष्ठता एवं वेतन वृद्धि के लिए कर्त्तव्य अवधि मानी जावेगी।

[नियम 42 से 45 तक]

समाप्त होने के दिनांक (रमजान माह की समाप्ति) तक कार्यालय समय समाप्त होने के एक घंटा पूर्व कार्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाये।

यह आदेश प्रतिवर्ष आने वाले रमजान माह के लिए लागू।

[छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 309/2000/सा.प्र.वि. दिनांक 2-12-2000 तथा क्र. एफ. 1-3/2005/1/एक, दिनांक 10-10-2005]

7. परिवार नियोजन-विशेष आकस्मिक अवकाश

(1) परिवार नियोजन आपरेशन करवाने वाले पुरुष शासकीय सेवकों को छः दिन का विशेष अवकाश मिलने की पात्रता है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 2323/2096/1 (3), दिनांक 13-11-59]

(2) नॉन प्यूर्परल टी.टी. (जो प्रसूति अवकाश के बाद/प्रसव के तत्काल बाद के दिनों के अलावा अन्य कभी होती है) के लिये महिला कर्मचारी को 14 दिन का विशेष अवकाश देय है। यह आदेश दिनांक 4-10-66 से प्रभावशील है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 2037-सी.आर. I (ii) 66, दिनांक 4-10-66]

(3) दो या अधिक जीवित बच्चे होने पर प्रसूति अवकाश नहीं मिलता, परन्तु ऐसी प्रसूति के बाद आपरेशन कराया जाता है, तो महिला कर्मचारी को 14 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 1073/555/1 (3), दिनांक 19-5-70]

(4) पत्नी के परिवार नियोजन आपरेशन कराने पर कर्मचारी पति को चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर सात दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश प्राप्त हो सकेगा।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 1557-सी.आर. 207-3, दिनांक 19-5-70]

(5) पुरुष कर्मचारी को पत्नी का टी.टी. आपरेशन असफल हो जाने पर यदि पत्नी का पुनः आपरेशन किया जाता है, तो उसके पति कर्मचारी को दुबारा सात दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश प्राप्त होगा, चाहे ऐसी शल्य-क्रिया प्रायवेट नर्सिंग होम में कराई गयी हो। परन्तु इस बाबत प्रमाण-पत्र पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर आवश्यक है।

[कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग क्रमांक सी-3/14/86/3/1, दिनांक 5-4-1988]

(6) यदि पुरुष कर्मचारी की प्रथम शल्य-क्रिया असफल हो जाती है तो उसे दुबारा नसबन्दी कराने पर चिकित्सीय प्रमाण-पत्र के आधार पर पुनः छः दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश सम्मिलित

दिन में रविवार, सार्वजनिक